



चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों/“शक्ति दीदी” द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व “शक्ति दीदी” अभियान के तहत आज दिनांक 20.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में एण्टी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति” व “शक्ति दीदी” के सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बुलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एण्टी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनांक 20.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों, होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक 20.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया बाद परेड अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा शस्त्रों को खुलवाकर शस्त्रों के बारे में बताया गया तत्पश्चात पुलिस लाइन का भ्रमण कर क्वार्टर गार्ड में सलामी ली गई तथा परिवहन शाखा, बैरिक, सीपीसी कैन्टीन, पुलिस मेस, स्टोर रूम व नव निर्मित भवन का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक को जल्द से जल्द सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात महोदय द्वारा कर्मचारीगणों को अर्दली रुम किया गया।

(4). आज दिनांक 20.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्षन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा तथा मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनांक 20.05.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 156/2017 धारा 354 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त मैनउददीन पुत्र जउबाद अली निवासी ग्राम शीतलपुर थाना निचलौल जनपद महाराजगंज को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरण:-

दिनांक 17.02.2017 को थाना मऊ अन्तर्गत एक वादी द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी कि अभियुक्त मैनउददीन उपरोक्त द्वारा उसकी नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की है। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 156/2017 धारा 354 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्रीरामनिवास यादव द्वारा सम्पादित की गयी। उपरोक्त विवेचक द्वारा आरोपी अभियुक्त को दिनांक 17.02.017 को गिरफ्तार कर दिनांक 08.04.017 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।